522

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर

निगरानी-4108/2018/सागर/भू.रा

हिम्मत सिंह पिता सीताराम कुर्मी
निवासी वार्ड क्र0-1 पोस्टआफिस के पास
राहतगढ़ तह0 राहतगढ़ जिला सागर -- पुनरीक्षणकर्ता

// विरूद्ध //

राम बाबू कुर्मी उम्र करीब 38साल
वल्द नारायण सिंह कुर्मी
निवासी ऐरन मिर्जापुर तह0 राहतगढ़
जिला सागर -- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट)

श्री कुंवर सिंह कुशवाह ने आज दि. 2/7/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक बहस हेतु दिनांक 11-7-18 नियत।
2-7-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षणकर्ता विनम्र प्रार्थी है :-

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के राजस्व प्र0क्र0- 75/बी-121/17-18 आदेश दिनांक 3/3/18 के विरूद्ध निम्नलिखित तथ्य व आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

// पुनरीक्षण के तथ्य एवं आधार //

1- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के पिता सीताराम कुर्मी ने मौजा वार्ड क्र0-1 मकान नंबर 359 राहतगढ़ तहसील राहतगढ़ जिला सागर का एक मकान जो उनके हक व हिस्से का था जिसका एक लिखित इकरारनामा निष्पादित कर दिनांक 20/5/07 को कब्जा सहित अन्दर आबादी का जिसका खसरा नंबर 55/4 है पुनरीक्षणकर्ता को प्रदान किया था। उक्त पिता के द्वारा दिया गया मकान पर पुनरीक्षणकर्ता करीब 15-16 वर्ष से मालिक काबिज है।

कुंवर सिंह कुशवाह
(एडवोकेट)
02/07/18

2- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता को पिता से प्राप्त उपरोक्त मकान का जलकर नियमित भुगतान कर रहा है एवं उक्त मकान में विद्युत कनेक्शन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4108/2018/सागर/भू.रा. हिम्मतसिंह विरूद्ध रामबाबू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह एवं अभिभाषक श्री अभिषेक गुर्जर उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 75/बी-121/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 03-03-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-07-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

25/01/19

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 25/01/19
सदस्य